न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज॰)

पीठासीन अधिकारी–पवन कुमार (आर.ए.एस.)
वाद संख्या:–71/2020

तारा सिंह पुत्र आत्मा सिंह जाति जटसिख उम्र 74 वर्ष निवासी चक 4 एसपीएस' तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर, हाल निवास बहबल कलां पोस्ट बहबल खुर्द जिला फरीदकोट (पंजाब)

———**प्रार्थी**

बनाम्

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व), अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर

———**अप्रार्थी**

वाद पत्र अन्तर्गत धारा–88 राज. काश्तकारी अधिनियम

::निर्णय:: दिनांक **12/01/2021**

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा.88 राज. काश्त अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया गया कि कृषि भूमि वाके चक 4 एसपीएस तहसील अनूपगढ़ के मुरब्बा नं. 25 पत्थर सं. 295/369 का किला नं. 1 ता 25 की कुल 6.072 हैक्टर, मुरब्बा नं. 32 पत्थर सं. 295/370 का किला नं. 1 ता 25 का कुल 6.072 हैक्टर, मुरब्बा नं. 31 पत्थर सं. 296/370 का किला नं. 1 ता 25 की कुल 6.072 हैक्टर, मुरब्बा नं. 42 पत्थर सं. 296/371 का किला नं. 1 ता 13 की कुल 3.289 हैक्टर, मुरब्बा नं.14 पत्थर सं. 297/468 का किला नं. 4 ता 25 का कुल 5.566 हैक्टर, मुरब्बा नं. 27 पत्थर सं. 297 से 369 का किला नं. 1 ता 25 की कुल 6.072 हैक्टर, मुरब्बा नं.–30 पत्थर सं.–297/370 का किला नं.–1ता25 की 6.072 हैक्टर, मुरब्बा नं. 28 पत्थर सं. 298/369 का किला नं. 12 ता 25 की कुल 3.289 हैक्टर, मुरब्बा नं. 29 पत्थर सं. 298/370 का किला नं. 1 ता 25 की कुल 6.072 हैक्टर कुल 54.648 हैक्टर कमाण्ड अनकमाण्ड मय खाला खातेदारी वादी एवं अन्य के नाम से संयुक्त रूप से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिसमें वादी का 5465/54648 हिस्सा संयुक्त रूप से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति संलग्न है। वाद पत्र की मद संख्या 2 में दर्ज कृषि भूमि वादी के दादा सुच्चा सिंह के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी। वादी के दादा सुच्चा सिंह द्वारा निष्पादित वसीयत के आधार पर वादी के नाम संयुक्त रूप से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई थी जिसमें वादी का 5465/54648 हिस्सा है। जो निरन्तर वादी के अधिकार एवं अधिपत्य में चली आ रही है। वादी सहखातेदार कृषक है। वादी का सही व वास्तविक नाम तारा सिंह पुत्र आत्मा सिंह है लेकिन उसका घरेलू नाम करतार होने के [illegible] की घर में व रिश्तेदारी में दोनों नामों करतार व तारा सिंह के नाम [illegible] जो ग्रामीण परिवेश का था व वादी भी ग्रामीण परिवेश का है [illegible] वसीयत निष्पादित करवाते समय सहबन से वसीयत में वादी का घरेलू नाम करतार सिंह पुत्र आत्मा सिंह दर्ज किया था तत्पश्चात् वादी के दादा के देहान्त उपरान्त उनके द्वारा निष्पादित वसीयत के आधार पर वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड वसीयत इन्तकाल करतार सिंह पुत्र आत्मा सिंह के नाम से ही दर्ज हुआ जो कि एक सदभाविक एवं मानवीय भूल है। वादी का सही व वास्तविक नाम तारा सिंह पुत्र आत्मा सिंह है वादी के पहचान–पत्र, आधार कार्ड, भामाशाह, राशनकार्ड व बैंक खाता

Signature Not Verified
Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2021.04.13 19:29:22 IST
Reason: SelfAttested

जिनकी प्रतियाँ संलग्न वाद पत्र हैं में वादी का नाम तारा सिंह पुत्र आत्मा सिंह ही दर्ज है लेकिन वादी के घर वादी को उसके घरेलू नाम करतार के नाम से पुकारते थे इसलिए वादी के दादा ने वासीयत तैयार करवाने के समय वासीयत में वादी का नाम करतार सिंह दर्ज करवा दिया था। जबकि वादी का सही व वास्तविक नाम तारा सिंह ही है। इस प्रकार करतार सिंह व तारा सिंह वादी का ही नाम है तथा वादी को इस दोनों नामों से ही पुराना जाता है।

वादी जो कि ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति है वादी को पूर्व में उक्त त्रुटि का कतई ज्ञान नहीं था अब वादी उक्त कृषि भूमि पर ऋण की पत्रावली तैयार करवाने के सम्बन्ध अरसा 10 दिन पूर्व पटवारी हल्का से मिला तो उन्होंने रिकार्ड देखकर बताया कि आपका यानि तारा सिंह का नाम दर्ज नहीं बल्कि आपका नाम रिकार्ड में करतार सिंह पुत्र आत्मा सिंह दर्ज है। जिस पर वादी ने पटवारी हल्का को बताया कि उसका सही नाम तारा सिंह है और घर पर उसे उसके घरेलू नाम करतार के नाम से बुलाते हैं और करतार सिंह व तारा सिंह दोनों नाम मेरे ही हैं तो पटवारी हल्का द्वारा उक्त त्रुटि को दुरूस्त करवाने के लिए माननीय न्यायालय में चाराजोई करने के लिए कहा जिस पर वादी तहसीलदार राजस्व अनूपगढ़ के समक्ष उपस्थित हुआ तो उन्होंने कहा कि सक्षम न्यायालय में चाराजाई करें। बस यही बिनाय दावा एवं बिनाय मुखासमत वाद पत्र है। वादी के राजस्व रिकार्ड एवं अन्य दस्तावेज में नाम अलग–अलग होने के कारण वादी को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम गलत रूप से करतार सिंह दर्ज है और अन्य आवश्यक समस्त दस्तावेज निर्वाचन आयोग के पहचान–पत्र, आधार कार्ड, भामाशाह, बैंक खाता व अन्य दस्तावेजात में वादी का नाम तारा सिंह दर्ज है। जिससे वादी को भविष्य में अपने हिस्सा की कृषि भूमि के सम्बन्ध में बैंक इत्यादि से लोन आदि लेने में वादी को काफी दिक्कत एवं परेशानियों का सामना करना पड़ेगा इसलिए भी न्याय हित में राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में सहवन से गलत दर्ज हुए नाम को दुरूस्त किया जाकर सही नाम दर्ज किया जाना आवश्यक है। ताकि भविष्य में वादी को दो अलग–अलग नाम दर्ज होने के कारण किसी प्रकार की परेशानियों का सामना ना करना पड़े और वादी अपने सही व वास्तविक नाम तारासिंह के नाम से ही अपनी उक्त कृषि भूमि का उपयोग, उपभोग कर सके। इसलिए वादी माननीय न्यायालय से घोषणा करवाने का विदित्त अधिकारी एवं दावेदार है। फलस्वरूप वादी को माननीय न्यायालय की शरण में आना पड़ रहा है।

पत्रावली में संलग्न तहसीलदार रिपोर्ट, तथ्यों एवं संलग्न दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन एवं मनन किया गया। मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार चक 4 एसपीएस (सलेमपुरा) के खाता सं. 64 में करतारसिंह पुत्र आत्मासिह [illegible] सिख सा. देह खातेदार 5465/54648 हिस्सा भूमि दर्ज रिकॉर्ड है। इसी चक के खाता सं. 25 में प्रार्थी का नाम तारासिंह पुत्र आत्मासिंह अंकित है जिसका रकबा आगे बेचान कर दिया गया। चक 24 एसजेएम में भी जमाबन्दी के खाता सं. 48 में प्रार्थी का नाम तारासिह पुत्र आत्मासिह अंकित है। पटवारी की मौका जांच रिपोर्ट नकल दैनिक डायरी दिनांक 05.01.2021 के अनुसार प्रार्थी को तारासिंह पुत्र आत्मासिंह के नाम से ही जाना जाता है जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति व दैनिक डायरी की प्रमाणित प्रति संलग्न है। प्रार्थी के अन्य दस्तावेज यथा आधार कार्ड, वरिष्ठ नागरिक कार्ड, पैन कार्ड आदि में भी तारासिंह पुत्र आत्मासिंह के नाम का अंकन है। अतः प्रार्थी के नाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2021.04.13 19:29:22 IST
Reason: SelfAttested

चक 4 एसपीएस की जमाबंदी खाता सं. 64 में अंकित नाम करतारसिंह पुत्र आत्मासिंह के स्थान पर करतारसिंह उर्फ तारासिंह पुत्र आत्मासिंह की दुरूस्ती किये जाने की अनुसंशा की गई हैं। पत्रावली में प्रस्तुत समस्त दस्तावेजात यथा नामान्तरण प्रपत्र, दैनिक डायरी, पहचान–पत्र, आधार कार्ड, भामाशाह, राशनकार्ड व बैंक खाता व रिपोर्ट पर मनन करने के पश्चात न्यायलय की राय में वादी का नाम करतार सिंह न होकर तारासिंह है। अतः वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर न्यायहित में वादी का नाम दुरूस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

::आदेश::

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार अनूपगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वाके चक 4 एसपीएस तहसील अनूपगढ़ के मुरब्बा नं. 25 पत्थर सं. 295/369 का किला नं. 1 ता 25 की कुल 6.072 हैक्टर, मुरब्बा नं. 32 पत्थर सं. 295/370 का किला नं. 1 ता 25 का कुल 6.072 हैक्टर, मुरब्बा नं. 31 पत्थर सं. 296/370 का किला नं. 1 ता 25 की कुल 6.072 हैक्टर, मुरब्बा नं. 42 पत्थर सं. 296/371 का किला नं. 1 ता 13 की कुल 3.289 हैक्टर, मुरब्बा नं. 14 पत्थर सं. 297/468 का किला नं. 4 ता 25 का कुल 5.566 हैक्टर, मुरब्बा नं. 27 पत्थर सं. 297 से 369 का किला नं. 1 ता 25 की कुल 6.072 हैक्टर, मुरब्बा नं.–30 पत्थर सं.–297/370 का किला नं.–1ता25 की 6.072 हैक्टर, मुरब्बा नं. 28 पत्थर सं. 298/369 का किला नं. 12 ता 25 की कुल 3.289 हैक्टर, मुरब्बा नं. 29 पत्थर सं. 298/370 का किला नं. 1 ता 25 की कुल 6.072 हैक्टर कुल 54.648 हैक्टर कमाण्ड अनकमाण्ड मय खाला खातेदारी वादी एवं अन्य के नाम से संयुक्त रूप से राजस्व रिकार्ड में दर्ज कृषि भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम करतारसिंह के स्थान पर करतार सिंह उर्फ तारासिंह का अंकन किया जावें। अप्रार्थी तहसीलदार अनूपगढ को उक्त आदेश को राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद करने हेतु तहरीर अलग से जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 12/01/2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पवन कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2021.04.13 19:29:22 IST
Reason: SelfAttested